HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON FRIDAY, THE 22ND FEBRUARY, 2019 AT 03.00 P.M. (SECOND SITTING).

I. RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS AND VOTING ON MOTION OF THANKS.

RESUMPTION of discussion on the following motion moved by Dr. Pawan Saini, M.L.A. on the 21st February, 2019, namely:-

"That an address be presented to the Governor in the following terms:-

'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 20th February, 2019 at 2.00 P.M.'."

II. OFFICIAL RESOLTION.

A MINISTER to move - "That the Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018" was intended to amend existing Criminal Laws related to sexual offences against woman and children by way of enhancement of punishment with an objective to deter the perpetrators from committing such heinous crimes as that of rape on women below the age of 12 years by way of providing capital punishment. Accordingly, the Government of Haryana moved the Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018. This bill was passes by Haryana Vidhan Sabha on the 15th March, 2018;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the said Constitution;

And whereas, the Central Government also has passed the Criminal Laws (Amendment) Ordinance, 2018 with similar intent. Subsequent to passing the bill by parliament, the Government of India has issued the notification of "The Criminal Law (Amendment) Act, 2018" on dated 11th August, 2018. While the objective of the "Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018" and that of the central Ordinance is similar, the Central Ordinance is more comprehensive. Accordingly, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Govt. of India to return "The Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018". After that, the Ministry of Home Affairs, Govt. of India intimated to State Government that the Government of India has no objection to the withdrawal of "The Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018". In view of the "The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 which was notified by Central Government on dated 11th August, 2018, there is no need of "The Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018".

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 4th February, 2019 has decided to withdraw the "The Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018";

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the "The Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018".

III. LEGISLATIVE BUSINESS.

1.	The Haryana Service of Engineers, Group A, Public Health Engineering Department (Amendment) Bill, 2019.	A MINISTER	to introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Health Engineering Department (Amendment) Bill; to move that the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Health Engineering Department (Amendment) Bill taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2.	The Haryana Shri Durga Mata Mandir Banbhori Shrine Bill, 2019.	A MINISTER	to introduce the Haryana Shri Durga Mata Mandir Banbhori Shrine Bill; to move that the Haryana Shri Durga Mata Mandir Banbhori Shrine Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
3.	The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2019.	A MINISTER	to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill; to move that the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
4.	The Haryana Laws (Special Provisions) Bill, 2019.	A MINISTER	to introduce the Haryana Laws (Special Provisions) Bill; to move that the Haryana Laws (Special Provisions) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH:
THE 21ST FEBRUARY, 2019.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 को 3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (द्वितीय बैठक)।

I. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

21 फरवरी, 2019 को डा0 पवन सैनी, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का **पुनरारम्भण,** अर्थात्:–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:–

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2019 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।'।"

II. सरकारी संकल्प

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे – "चूंकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 का उद्देश्य 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से अपराधियों को मृत्यु दंड से दंडित करने के उद्देश्य से महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा आपराधिक कानूनों में संशोधन करना था। तदानुसार हरियाणा सरकार ने आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को स्थानांतरित किया। इस विधेयक को 15 मार्च, 2018 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संधिधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि राज्यपाल ने, उक्त संविधान के अनुच्छेद 211 के अधीन उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतू आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि इस बीच, केन्द्र सरकार ने भी इसी इरादे से आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पारित किया। संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2018 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 की अधिसूचना जारी की जा चूकी है। जबकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 और केन्द्रीय अध्यादेश/अधिनियम का उद्देश्य समान है और केन्द्रीय अध्यादेश अधिक व्यापक है इसलिए राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बिल को वापिस करते हुए सूचित किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

और चूंकि दिनांक 4 फरवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने के लिए निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधान सभा, आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।"

III. विधान कार्य

1. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019.	**एक मंत्री**	हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी पूजास्थल विधेयक, 2019.	**एक मंत्री**	हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी पूजास्थल विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी पूजास्थल विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019.	**एक मंत्री**	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019	**एक मंत्री**	हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
21 फरवरी, 2019.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।